



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 16.06.2022

1-थाना दादरी पुलिस द्वारा 75,000 रूपये का वांछित ईनामी पेशेवर शार्प शूटर पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 चोरी की सैन्ट्रो कार, 01 कार्बाइन(फैक्ट्री मेड) 9 एम0एम0 मय 12 जिन्दा कारतूस व 01 पिस्टल मय 04 खोखा कारतूस .32 बोर बरामद।

दिनांक 15.06.2022 को थाना दादरी पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान थाना क्षेत्र के बिरयानी पुल के पास से हुई पुलिस मुठभेड़ के उपरान्त 75,000 रूपये का वांछित ईनामी अभियुक्त अनुज चौधरी उर्फ गोलू पुत्र सोहनवीर निवासी जी0डी0ए कॉलोनी, बोलगा पैलेस के पास, सिहानी गेट, गाजियाबाद को पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ हेतु चलाई गयी गोली पैर में लगने के कारण घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश के कब्जे से चोरी की 01 सैन्ट्रो कार नं0 डीएल 8 सीएस 3669, 01 कार्बाइन (फैक्ट्री मेड) 9 एमएम मय 12 जिन्दा कारतूस 9 एमएम, 01 पिस्टल मय 04 खोखा कारतूस.32 बोर बरामद किये गये है।

उक्त अभियुक्त अनिल दुजाना एंव रणदीप भाटी गैंग का सक्रिय एंव पेशेवर हत्यारा है जो बेहद शातिर किस्म का बदमाश है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर जनपद गौतमबुद्धनगर से 50,000/- रूपये व जनपद गाजियाबाद से 25,000/- रूपये का ईनाम घोषित था। अभियुक्त के ऊपर लगभग हत्या व लूट के दर्जनो अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त अनुज चौधरी से पूछताछ के दौरान जानकारी मिली कि अभियुक्त अपराध की दुनिया मे वर्ष 2009 मे आया था, अभियुक्त द्वारा जनपद मेरठ के नौचंदी क्षेत्र मे विजय शर्मा नाम के व्यक्ति के साथ लूट कर उसकी हत्या कर दी गई थी। अभियुक्त इस अभियोग में जनपद मेरठ जेल मे बंद था तो उसकी मुलाकात मेरठ के गैंगस्टरों से हो गयी एवं वहाँ से जमानत होने के उपरान्त अभियुक्त द्वारा वर्ष 2011 मे थाना सिहानी गेट एरिया से एक लडकी का अपहरण करने का प्रयास किया गया था। इस कृत्य मे विफल होने कि दशा में अभियुक्त द्वारा जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी थी इस घटना के सम्बन्ध मे अभियुक्त डासना जेल मे निरूद्ध रहा जिस दौरान उसकी मुलाकात सनसनीखेज सोनू पण्डित हत्याकाण्ड में डासना जेल मे निरूद्ध अनिल दुजाना गैंग के मुख्य शूटर अमित झुम्नपुरिया से हुयी वही से इस दोस्ती के जरिये अभियुक्त अनुज अनिल दुजाना गैंग मे शामिल हो गया। अनिल दुजाना के जेल मे रहने के दौरान दूसरे निरूद्ध अभियुक्त अशोक राका से हुई अनबन का बदला लेने के लिए वर्ष 2013 मे अभियुक्त अनुज व अमित झुम्नपुरिया द्वारा गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अशोक राका की हापुड कचहरी के अन्दर घुसकर हत्या कर दी गई थी। इसी दौरान अनिल दुजाना गैंग एंव रणदीप भाटी गैंग संयुक्त हो गये थे तबसे यह खूंखार अभियुक्त अनुज उपरोक्त दोनो गैंगो के लिए काम करने लगा तथा इसके द्वारा गाँव डाबरा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर में चमन नाम के व्यक्ति की हत्या गैंग के अन्य सदस्यो के साथ मिलकर की तथा थाना सूरजपुर क्षेत्र मे भी हत्या की थी। अभियुक्त अनुज को अनिल दुजाना गैंग मे लाने वाले इसके सबसे करीबी दोस्त शार्प शूटर अमित झुम्नपुरिया की थाना लोनी क्षेत्र मे हत्या कर दी गयी। उसकी हत्या होने के उपरान्त यह

एनसीआर क्षेत्र से बिना किसी को बताये अचानक से गायब हो गया। उसके बाद यह छुप-छुप कर अपराध करने लगा तथा लम्बे समय तक अन्य प्रदेशो मे जाकर छिप जाता था तथा नाम पता बदलकर रहता था। इस बीच अनिल दुजाना गैंग व रणदीप भाटी गैंग द्वारा इसकी हत्या की आकांशा एक दूसरे पर जतायी गयी एंव इसके सगे-सम्बन्धियो से पुलिस को भी यही सूचना मिली की वह गैंगवार मे मारा जा चूका है। वर्ष 2019 में इसके द्वारा अपने दोस्त अंकित की खातिर अपने साथी शहनवाज के साथ मिलकर थाना कविनगर क्षेत्र के संजय नगर ईलाके मे विनोद भज्जी नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी तथा फिर गायब हो गया था। इसकी गिरफ्तारी पर थाना सूरजपुर से पूर्व से 50,000/-रूपये का ईनाम घोषित था। दिनांक 24.03.2022 को थाना कासना क्षेत्र मे लढपुरा गेट के सामने इसने अपने साथी दीपक आदि के साथ मिलकर नवीन नाम के व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया, हमले के समय की फुटेज विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी , इसके जीवित होने की पुष्टि होने के पश्चात गौतमबुद्धनगर के थाना दादरी, कासना, सूरजपुर पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिये गये। दिनांक 15.06.2022 को अभियुक्त छुपते छुपाते हरियाणा से गाजियाबाद अपने घर परिवार वालों से मिलने के लिए जा रहा था कि पुलिस मुठभेड के दौरान अभियुक्त अनुज उपरोक्त को दादरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है।

अभियुक्त का विवरण:

अनुज चौधरी उर्फ गोलू पुत्र सोहनवीर निवासी जी0डी0ए कॉलोनी, बोलगा पैलेस के पास, सिहानी गेट, गाजियाबाद।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण:

- 1-मु0अ0सं0 689/09 धारा 302/394/411 भादवि थाना नोचन्दी, मेरठ।
- 2-मु0अ0सं0 759/09 धारा 25 आमर्स एक्ट थाना नोचन्दी, मेरठ।
- 3-मु0अ0सं0 1172/11 धारा 307/364/511 भादवि थाना सिहानी गेट, गाजियाबाद।
- 4-मु0अ0सं0 120/13 धारा 302 भादवि थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 5-मु0अ0सं0 184/13 धारा 302 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 6-मु0अ0सं0 255/13 धारा 147/148/149/302 भादवि कोतवाली हापुड़।
- 7-मु0अ0सं0 338/14 धारा 307/506/120बी भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 8-मु0अ0सं0 02/18 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 9-मु0अ0सं0 1008/18 धारा 174ए भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 10-मु0अ0सं0 2156/19 धारा 302 भादवि थाना कविनगर, गाजियाबाद।
- 11-मु0अ0सं0 84/22 धारा 307/506/120बी भादवि थाना कासना, गौतमबुद्धनगर।
- 12-मु0अ0सं0 324 /22 धारा 307 भादवि थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 13-मु0अ0सं0 325/22 धारा 25/27 आमर्स एक्ट थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।
- 14-मु0अ0सं0 3089/22 धारा 379/411 भादवि थाना ई-पुलिस स्टेशन, दिल्ली।

बरामदगी का विवरण:

1.चोरी की सैन्ट्रो कार नं0 डीएल 8 सीएस 3669

2.01 कार्बाइन (फैक्ट्री मेड) 9 एमएम मय 12 जिन्दा कारतूस 9 एमएम

3.01 पिस्टल मय 04 खोखा कारतूस.32 बोर

2- थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा भारत सरकार को भारी राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेन्टर के गैंग लीडर ओवेस आलम सहित 10 सदस्यों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई।

दिनांक-16.06.2022 को थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा पुलिस आयुक्त महोदय गौतमबुद्धनगर की संस्तुति के बाद भारत सरकार को भारी राजस्व की क्षति पहुंचाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय फर्जी कॉल सेन्टर के गैंग लीडर ओवेस आलम सहित इसके 10 सदस्यों के विरूद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही की गई है।

विवरण:

अभियुक्तों का एक आपराधिक संगठित गिरोह है जिसमें (गैंग लीडर) ओवेस आलम व सक्रिय सदस्य 1.पुष्पेन्द्र 2.पवन कुमार 3.दिनेश चन्द्र 4.अमूल्यनाथ यादव 5.संजय उर्फ भूपेन्द्र कुमार 6.विक्रम 7.शाहेनूर 8.अंकुश बाहरी 9.वाजिद अली हैं जो अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ हेतु(अन्तर्राष्ट्रीय कॉल को लोकल कॉल में परिवर्तित कर) पीआरआई को गेटवे में करके सिस्को सर्वर में कनेक्ट कर इंटरनेट द्वारा रिमोटली कंट्रोल करके अन्तर्राष्ट्रीय कालिंग वाया टाटा पीआरआई वाई एक्सप्राटेक इंटरनेट से अन्तर्राष्ट्रीय कालिंग करते थे, जिससे भारत सरकार को भारी राजस्व की क्षति हो रही थी, तथा टाटा कम्पनी का भी राजस्व घाटे में जा रहा था।

थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था एवं उनके कब्जे से भारी मात्रा में सामान बरामद किया गया था। इस गैंग की आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिये थाना सेक्टर-58, नोएडा पर मु0अ0सं0-268/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया है।

अभियुक्तों का विवरण:

1.ओवेस आलम मलिक पुत्र स्व0 अली हसन निवासी-लालूबाला, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद वर्तमान पता ए-28, ट्रांसपोर्ट नगर, थाना मझौला, जिला मुरादाबाद। (गैंग लीडर)

2.पुष्पेन्द्र कुमार पुत्र हरी सिंह निवासी-ग्राम सतवाई थाना श्यौहारा, बिजनौर वर्तमान पता कृष्णा जिम के सामने, शान्ति नगर, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

3.पवन कुमार पुत्र रामभूल सिंह निवासी ग्राम सेहरा, थाना बीबीनगर, जिला बुलन्दशहर वर्तमान पता म0नं0-430, सविदयनगर, थाना विजयनगर, जिला गाजियाबाद।

4.दिनेश चन्द्र पुत्र मंगलेश निवासी म0नं0 140, ग्राम हुलू विचपुरी, थाना राया, जनपद मथुरा।

5.अमूल्यनाथ यादव पुत्र राममूर्ति यादव निवासी ग्राम किनौली, थाना इनायत नगर जिला फैजाबाद वर्तमान पता 905, एफ टावर सुपरटेक लिविंग स्टोन क्रोसिंग रिपब्लिक, थाना विजय नगर, गाजियाबाद।

6.संजय उर्फ भूपेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 रामपाल सिंह निवासी एफ-37, केशव कुंज गोविन्दपुरम थाना बापूथाम जनपद गाजियाबाद

7.विक्रम पुत्र स्व0 रामपाल सिंह निवासी एफ-37, केशव कुंज गोविन्दपुरम, थाना बापूथाम, जनपद गाजियाबाद।

8.शाहेनूर पुत्र साबिर हुसैन नि0-ग्राम लालू वाला थाना भोजपुर मुरादाबाद वर्तमान पता फ्लैट सं0-बी 69, शाहवेरी, थाना बिसरख, गौतमबुद्धनगर।

9.अंकुश बाहरी पुत्र स्व0 नरेन्द्र कुमार बाहरी नि0-ए 58 प्रथम फ्लोर, गुडमंडी, थाना माडल टाउन, दिल्ली-7।

10.वाजिद अली पुत्र शब्बीर अहमद अंसारी निवासी ग्राम व पोस्ट भोगली, तहसील नगीना, जिला बिजनौर वर्तमान पता जे-42, ई-1, प्रथम तल ठोकर नं0 04, जामिया नगर ओखला, नई दिल्ली।

आपराधिक इतिहास का विवरण:

1.मु0अ0सं0-376/2021 धारा-420, 467, 468, 469, 471, 34, 120बी भादवि व 4, 20, 21, 25 भारतीय तार अधिनियम व 66 डी आईटी एक्ट थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

2.मु0अ0सं0-452/2021 धारा-420, 467, 468, 469, 471, 34, 120बी भादवि व 4, 20, 21, 25 भारतीय तार अधिनियम थाना सेक्टर-58, नोएडा, गौतमबुद्धनगर

3.मु0अ0सं0-408/2021 धारा 420, 120बी भादवि व 4, 20, 21, 25 भारतीय तार अधिनियम, थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।

4.मु0अ0सं0-268/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सेक्टर-58, गौतमबुद्धनगर।

3-थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा गोकशी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 15.06.2022 की रात्री को थाना फेस-3 नोएडा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 286/22 धारा 3/8/5क गौवध अधिनियम मे वांछित अभियुक्त निजामुद्दीन पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी टंकी वाला मौहल्ला, इकबाल नगर, जोया थाना डिडोली, जिला अमरोहा को सर्वहित नशामुक्ति केन्द्र जोया, जिला अमरोहा से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के 02 साथी 1.मौहम्मद ईशा व 2.जीशान को पुलिस मुठभेड के दौरान पूर्व मे गिरफ्तार किया जा चुका है। सभी अभियुक्तों द्वारा मिलकर गोकशी करने की घटना की जाती थी। अभियुक्तों द्वारा कुछ दिन पूर्व तीन गौवंश को इंजेक्शन लगाकर नशे में बेहोश करके वध कर काटकर उनका मीट निकालकर दिल्ली में बेचा गया था और बचे अवशेष को चारमूर्ति से पहले हिण्डन नदी के किनारे मिट्टी में ले जाकर दबा दिया गया था।

अभियुक्त का विवरण:

निजामुद्दीन पुत्र अब्दुल कय्यूम निवासी टंकी वाला मौहल्ला, इकबाल नगर, जोया थाना डिडोली, जिला अमरोहा।

अभियोग का विवरण:

मु0अ0सं0 286/22 धारा 3/8/5क गौवध अधिनियम बनाम मौहम्मद ईशा, जीशान, बिलाल, हसीन, फरजंद, निजामुद्दीन उपरोक्त थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।



#पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार, डीसीपी ग्रेटर नोएडा व एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा जोन के जारचा/दादरी क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक स्थलों, संवदेनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में भ्रमण किया गया और लोगों से परस्पर सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में वार्ता की गई।

दिनांक 16/06/2022 को कमिश्नर गौतमबुद्धनगर द्वारा संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार, डीसीपी ग्रेटर नोएडा व एडीसीपी ग्रेटर नोएडा के साथ ग्रेटर नोएडा जोन के जारचा/दादरी क्षेत्र के अंतर्गत धार्मिक स्थलों, संवदेनशील/मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों व बाजारों में भ्रमण किया गया। भ्रमण में दौरान पुलिस कमिश्नर द्वारा क्षेत्र के लोगों, धार्मिक गुरुओं व व्यापारियों से परस्पर सौहार्द व शांति व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में वार्ता की गई। सभी लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान ना देने, पुलिस/प्रशासन के लोगों का सहयोग करने, माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले लोगों की जानकारी तुरंत पुलिस को देने व शासन द्वारा जारी नियमों का पालन करने हेतु निर्देशित किया गया। सभी धर्म के गुरुओं को अपने-अपने धर्म के लोगों से वार्ता कर उनको समझाने को बताया गया जिसे लोगों के मध्य पहले की तरह ही शांति बनी रहे। सोशल मीडिया पर बिना जानकारी के कुछ भी शेयर ना करने, भ्रामक खबरों से दूरी बनाने व उनकी रिपोर्ट पुलिस/साइबर सैल को करने के लिए बताया गया। पुलिस कमिश्नर द्वारा धार्मिक स्थलों का भी निरीक्षण किया गया और संबंधित अधिकारीगण को ड्रोन के माध्यम से नजर रखने, दंगा निरोधक उपकरणों के साथ पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाने व पेट्रोलिंग करने हेतु निर्देशित किया गया।

भ्रमण के दौरान पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर के साथ संयुक्त पुलिस आयुक्त लव कुमार, डीसीपी ग्रेटर नोएडा मीनाक्षी कात्यायन, एडीसीपी ग्रेटर नोएडा विशाल पांडे, एसडीएम दादरी, संबंधित एसीपी व थाना प्रभारी, पीएसी बल, सिविल पुलिस बल व महिला कंपोनेंट की टीम उपस्थित रही।

